राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1184/2011/जयपुर
2. अपील संख्या 1185/2011/जयपुर
3. अपील संख्या 1186/2011/जयपुर
4. अपील संख्या 1187/2011/जयपुर
5. क्रास आबजेक्शन 172/2012/जयपुर
6. क्रास आबजेक्शन 173/2012/जयपुर
7. क्रास आबजेक्शन 174/2012/जयपुर
8. क्रास आबजेक्शन 175/2012/जयपुर
9. अपील संख्या 2024/2014/जयपुर
10. अपील संख्या 2025/2014/जयपुर
11. अपील संख्या 2026/2014/जयपुर

मैसर्स गोदरेज हर्शे लि.,
होटल कठियावाड़ी, टाटा मोटर्स के सामने,
केशुपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड़, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन–I, जयपुर .....प्रत्यर्थी

12. अपील संख्या 2135/2011/जयपुर
13. अपील संख्या 2136/2011/जयपुर
14. अपील संख्या 2137/2011/जयपुर
15. अपील संख्या 2138/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन–I, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स गोदरेज हर्शे लि.,
होटल कठियावाड़ी, टाटा मोटर्स के सामने,
केशुपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड़, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.सी.शाह अभिभाषक ....व्यवहारी फर्म की ओर से.
श्री एन.के.बैद, उपराजकीय अभिभाषक ....राजस्व विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण व्यवहारी/राजस्व द्वारा यह अपीलें/क्रास आबजेक्शन अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा निम्न तालिकानुसार पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने/अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय आदेश सं. एंव दिनांक	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि ₹ में)		
				कर	ब्याज	शास्ति
1184/2011	346/19.05.11	04.02.11	2007–08	12,45,998	4,73,213	....
1185/2011	348/19.05.11	04.02.11	2008–09	24,30,686	7,04,900	....
1186/2011	349/19.05.11	04.02.11	2009–10	26,69,026	4,53,734	....
1187/2011	347/19.05.11	04.02.11	2010–11	9,92,654	89,338	....
2024/2014	295/08.07.14	24.07.13	2010–11	14,37,872	5,17,633	....
2025/2014	296/08.07.14	24.07.13	2011–12	18,36,489	4,40,757	....
2026/2014	297/08.07.14	24.07.13	2012–13	13,88,762	1,66,651	....
2135/2011	346/19.05.11	04.02.11	2007–08	....	....	24,90,596
2136/2011	348/19.05.11	04.02.11	2008–09	....	....	48,61,372
2137/2011	349/19.05.11	04.02.11	2009–10	....	....	53,38,052
2138/2011	347/19.05.11	04.02.11	2010–11	....	....	19,85,308

लगातार..........2

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं रिकॉर्ड की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा केण्डी, जम्पिन ज्यूस, टोमेटो ज्यूरी की बिक्री राज्य में की गई है एवं इनकी फेक्ट्री लुधियाना(पंजाब) में स्थित है। व्यवहारी द्वारा बताया गया की उसके द्वारा राज्य में एफ फार्म पर माल मंगवाकर विक्रय किया जाता है। सशक्त अधिकारी ने लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा निम्नलिखित ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी का विक्रय किया जाता है–

1. **Nuterine chocolaty Eclairs - Tasty chocolaty center**
2. **Nuterine froot shoot - fruit flavoured candy.**
3. **Nuterine Santra Goli - Orange filled juicy centre**
4. **Nuterine Gulkand - Rose filled juicy centre**
5. **Nuterine chatkeeli Imli - Spicy tamarind filled juicy centre**
6. **Nuterine Maha choco - Maha creamy chocolaty candy**
7. **Nuterine Maha Lacto -**

4. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है। रिकॉर्ड के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि व्यवहारी Nuterine Chocolaty Eclairs पर आलोच्य अवधियों में 14 प्रतिशत वैट संग्रहित कर रही है तथा शेष ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी माल पर 5 प्रतिशत वैट संग्रहित कर रही थी। व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे उत्पादन के नमूने लिये गये तथा आलौच्य अवधियों से बिक्री की गयी Nuterine - Gulkand, Chatkeeli Imli, Santra Goli, Maha lacto, Maha Choco की बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये एवं आलौच्य अवधियों में माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची–चतुर्थ के तहत् करयोग्य नहीं होने तथा वैट अनुसूची–पंचम के तहत् सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा 9 प्रतिशत अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने 'Prosecutor should not be judge' की अवधारणा के तहत पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी।

5. निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स के रेपर्स का अवलोकन किया जिसमें पाया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट्स Santra Goli, Gulkand, Chatkeeli Imli, Maha lacto, Maha Choco के Indredients को देखने पर यह माल Sugar Candy made of Sugar & Glucose नहीं पाया। रेपर्स के अवलोकन से Santra Goli, Gulkand, Chatkeeli Imli, Maha lacto, Maha Choco पर SUGAR BOILED CONFECTIONERY व R अंकित पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि यह ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है क्योंकि ऐसा ही Eclairs पर अंकित पाया गया। Maha Choco पर Maha Creamy Chocolaty भी अंकित है, जिससे भी स्पष्ट है कि इसमें चोकलेट है जिसे अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 में Exclude किया गया है। व्यवहारी के विवादित उत्पाद 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' प्रविष्टि संख्या 163 अनुसूची–चतुर्थ के तहत् करयोग्य नहीं पाये गये। व्यवहारी ने ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी का आलौच्य अवधियों में की गई बिक्री (Eclairs) के अतिरिक्त किया है तथा Sugar Candy made of sugar मानकर 5 प्रतिशत से कर संग्रहित किया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 से पृथक की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह अनुसूची–पंचम के तहत् आलौच्य अवधि में 14 प्रतिशत से करयोग्य माल होने के कारण व्यवहारी के द्वारा गलत निर्वचन किया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा करके 9 प्रतिशत से राजकोष में कम कर अदा करते हुए परिवर्जन व अपवंचन किया जाना

लगातार..........3

प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत् नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाब से अंसतुष्ट होते हुये उपरोक्त तालिकानुसार मांगे सृजित की, उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनको शास्ति के बिन्दु पर स्वीकारते हुये कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी एवं विभाग द्वारा उक्त अपीलें/क्रास ऑब्जेक्शन अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' के तहत् आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी की ओर से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम लागू होने के समय अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 'Confectionery excluding choclate' थी, जो दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से संशोधित होकर Excluding branded Confectionery हुआ तथा दिनांक 01.06.2006 से नई प्रविष्टि संख्या 163 आयी 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार कुछ उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तद्नुसार कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar Candies made of Sugar and glucose and containg Flavours, Creame and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevdutta Vksss Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC - 0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होनें कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने है तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulisifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर, 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन–1 में मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त का धारा 12–ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राईजेज कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Tofee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। उन्होंने कतिपय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

अपने तर्को के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक व्यवस्थायें प्रस्तुत की गईः–

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assisstant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.

लगातार..........4

9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala Sepetember 26, 1992.
13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.
16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों एवं क्रास आब्जेक्शन को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित ब्याज को बहाल किया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्लस बनाम सरकार (2009) 23 VST 249 (SC) के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर आच्छादित बतलाते हुये उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा निर्मित केण्डी, जम्पिन ज्यूस, टोमेटो ज्यूरी की बिक्री राज्य में की गई है। व्यवहारी द्वारा बताया गया की उसके द्वारा राज्य में एफ फार्म पर माल मंगवाकर विक्रय किया जाता है। सशक्त अधिकारी ने लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी का विक्रय किया गया है।

10. व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Canday made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy नहीं होकर **ब्राण्डेड कन्फेशनरी** होना सिद्ध होता है। निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रुप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को **ब्राण्डेड कन्फेशनरी** प्रोडेक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है एवं अधिनियम की अनुसूची–V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में उपरोक्त तालिकानुसार करारोपण किया है, वह विधिनुकूल है। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने समान तथ्यों पर विवादित कन्फेक्शनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017** में दिये गये निर्णायक निर्णय में सुस्थापित किया है कि :–

लगातार..........5

"In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorityes in unision is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, जिसके हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः लागू होने से कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

11. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04. 2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्लस बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) का शास्ति** के संबंध में निर्णायक अंश निम्न प्रकार है :–

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands are aside."

चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, जो शुरू से ही विवादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक से जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें व क्रॉस आब्जेक्शनों को अस्वीकार किया जाता है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शास्ति के बिंदु पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

13. **परिणामस्वरुप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें/क्रास आब्जेक्शन तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।**

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

13.4.2017
(मदन लाल)
सदस्य